<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>दिनांक: 12.06.2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद ने आंध्र प्रदेश आबकारी (मद्य) परिवहन घोटाले से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 11.06.2026 को हैदराबाद स्थित पांच परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया।

केसिरेड्डी राजा शेखर रेड्डी, डोंटिरेड्डी वासुदेव रेड्डी, विजया नरसिम्हा रेड्डी, वल्लु संदीप तथा करुमुरी नागेश्वर राव एवं करुमुरी सुनील कुमार के परिसरों पर की गई तलाशी के दौरान एक लग्जरी कार, ₹94.50 लाख मूल्य की महंगी घड़ियां तथा बेहिसाबी नकदी बरामद की गई। इसके अतिरिक्त, संदिग्ध संयुक्त उद्यम समझौते, बेहिसाबी नकद लेन-देन से संबंधित अभिलेख तथा संपत्ति संबंधी दस्तावेज सहित अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद कर जब्त किए गए।

ईडी ने आंध्र प्रदेश सरकार के अतिरिक्त सचिव (सतर्कता) द्वारा की गई शिकायत के आधार पर, आंध्र प्रदेश अपराध अन्वेषण विभाग (सीआईडी) द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच प्रारंभ की। शिकायत में सरकारी राजकोष को ₹195.33 करोड़ की हानि पहुंचाए जाने का आरोप लगाया गया है।

ईडी की जांच में यह उजागर हुआ कि आंध्र प्रदेश स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (एपीएसबीसीएल) द्वारा जारी मदिरा परिवहन निविदा (टेंडर) की शर्तों में जानबूझकर संशोधन कर उन्हें चुनिंदा संस्थाओं, अर्थात् एम/एस सिग्मा सप्लाई चेन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (एसएससीएसपीएल) तथा बाद में एम/एस प्रसाद ट्रांसपोर्ट्स, के पक्ष में अनुकूल बनाया गया। ये संस्थाएं मात्र मुखौटा (फ्रंट) इकाइयों के रूप में कार्य कर रही थीं, जबकि इनका वास्तविक परिचालन एवं वित्तीय नियंत्रण केसिरेड्डी राजा शेखर रेड्डी, डोंटिरेड्डी वासुदेव रेड्डी तथा उनके सहयोगियों से जुड़े व्यक्तियों के पास था।

ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि मदिरा कार्टेल ने आंध्र प्रदेश राज्य में डिपो से खुदरा बिक्री केंद्रों तक मदिरा के परिवहन के माध्यम से अवैध लाभ अर्जित करने की एक सुनियोजित व्यवस्था विकसित की थी। केसिरेड्डी राजा शेखर रेड्डी, तुकेकुला ईश्वर किरण कुमार रेड्डी तथा अंजनी कुमार ने, एपीएसबीसीएल के तत्कालीन प्रबंध निदेशक डोंटिरेड्डी वासुदेव रेड्डी के साथ सक्रिय मिलीभगत करते हुए, अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर प्रचलित दरों की तुलना में अत्यधिक ऊंची दरों पर मदिरा परिवहन का ठेका प्राप्त किया, जिससे अपराध से अर्जित आय उत्पन्न हुई।

जांच में यह भी पाया गया कि एसएससीएसपीएल का उपयोग निविदा प्रक्रिया में भाग लेने तथा हेरफेर की गई निविदा प्रक्रिया के माध्यम से ठेका प्राप्त करने के लिए एक मुखौटा संस्था के रूप में किया गया। हालांकि, परिवहन कार्य का वास्तविक निष्पादन एवं परिचालन नियंत्रण तुकेकुला ईश्वर किरण कुमार रेड्डी उर्फ किरण कुमार तथा उनके सहयोगियों द्वारा किया जा रहा था, जो केसिरेड्डी राजा शेखर रेड्डी उर्फ राज के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्यरत थे।

ईडी की जांच में यह सामने आया है कि एपीएसबीसीएल द्वारा जारी मदिरा परिवहन निविदाओं में हेरफेर से संबंधित संगठित वित्तीय अपराध के पीछे केसिरेड्डी राजा शेखर रेड्डी मुख्य षड्यंत्रकारी

तथा संचालनकर्ता के रूप में उभरे हैं। जांच से यह भी स्पष्ट हुआ है कि उन्होंने अपने राजनीतिक प्रभाव तथा आंध्र प्रदेश सरकार के पूर्व आईटी सलाहकार के रूप में प्राप्त पद एवं प्रभाव का उपयोग करते हुए एपीएसबीसीएल के तत्कालीन प्रबंध निदेशक डोंटिरेड्डी वासुदेव रेड्डी तथा अपने निकट सहयोगी तुकेकुला ईश्वर किरण कुमार रेड्डी के साथ आपराधिक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र का उद्देश्य एपीएसबीसीएल की स्थापित परिवहन नीति व्यवस्था को विफल एवं प्रभावित करना तथा उसके माध्यम से अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करना था। जांच में यह भी पाया गया कि उक्त व्यक्तियों ने मिलीभगत कर मदिरा परिवहन निविदा प्रक्रिया में अनियमितताएं एवं हेरफेर की, जिसके परिणामस्वरूप अवैध रूप से वित्तीय लाभ प्राप्त किए गए।

पीएमएलए जांच के दौरान एकत्रित साक्ष्यों से यह उजागर हुआ कि केसिरेड्डी राजा शेखर रेड्डी ने केंद्रीकृत मदिरा परिवहन निविदा व्यवस्था से संबंधित धोखाधड़ीपूर्ण योजना को तैयार करने और उसे क्रियान्वित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस योजना का उद्देश्य सुनियोजित भ्रष्टाचार, अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करने तथा सार्वजनिक धन के दुरुपयोग एवं अपहरण के लिए एक व्यवस्थित तंत्र स्थापित करना था।

उक्त षड्यंत्र को आगे बढ़ाते हुए, उन्होंने परिवहन दरों को कृत्रिम रूप से बढ़ाने की योजना तैयार की और उसे लागू किया। इसके तहत प्रति कार्टन बॉक्स परिवहन की औसत जिला-स्तरीय प्रचलित दर लगभग ₹19.68 से बढ़ाकर ₹35.57 प्रति कार्टन बॉक्स तक कर दी गई, जिससे संबंधित सिंडिकेट के लिए भारी मात्रा में अवैध लाभ अर्जित होना सुनिश्चित हुआ। जांच में यह भी सामने आया कि उन्होंने स्थानीय राजनीतिक नेताओं तथा उनसे संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उप-ठेके आवंटित करने के लिए समानांतर तंत्र का संचालन एवं समन्वय किया।

पीएमएलए जांच में यह भी पाया गया कि एपीएसबीसीएल के तत्कालीन प्रबंध निदेशक डोंटिरेड्डी वासुदेव रेड्डी, मदिरा परिवहन निविदा प्रक्रिया में किए गए व्यापक वित्तीय घोटाले के प्रमुख आधिकारिक सूत्रधार एवं सहयोगकर्ता के रूप में उभरे। उन्होंने अपने आधिकारिक पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए विधिसम्मत रूप से स्वीकृत विकेंद्रीकृत जिला-स्तरीय परिवहन व्यवस्था, जो विधिवत गठित जिला समितियों के माध्यम से संचालित होती थी, को एकतरफा समाप्त कर दिया तथा उसके स्थान पर बिना प्राधिकरण के राज्यव्यापी केंद्रीकृत परिवहन नीति लागू कर दी।

मौजूदा नीति व्यवस्था से इस विचलन को उचित ठहराने के लिए उन्होंने कथित रूप से सरकार को भ्रामक, असत्य एवं तथ्यहीन अनुशंसाएं प्रस्तुत कीं। उन्होंने दावा किया कि परिवहन दरों की असमानता तथा श्रमिक प्रबंधन से संबंधित समस्याओं के कारण केंद्रीकरण आवश्यक है, जबकि जांच में यह पाया गया कि ऐसी समस्याएं या तो अस्तित्व में ही नहीं थीं अथवा तत्कालीन जिला-स्तरीय समझौतों के अंतर्गत उनका पर्याप्त समाधान पहले से ही उपलब्ध था।

पीएमएलए जांच में आगे यह भी उजागर हुआ कि डोंटिरेड्डी वासुदेव रेड्डी ने निर्धारित दिशानिर्देशों एवं स्थापित प्रक्रियाओं से विचलन के लिए सरकार से कोई स्पष्ट स्वीकृति अथवा प्राधिकरण प्राप्त किए बिना ही उक्त केंद्रीकृत नीति को लागू कर दिया। उन्होंने एसएससीएसपीएल को प्रदान किए गए परिवहन अनुबंधों की अवधि को भी अवैध रूप से बार-बार बढ़ाया, जो उनकी मूल अवधि से कहीं अधिक समय तक जारी रही। यह विस्तार न तो सरकार की अनिवार्य स्वीकृति प्राप्त कर किया गया और न ही सक्षम प्राधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। जांच में यह पाया गया कि हेरफेर की गई निविदा प्रक्रिया तथा अनुबंधों के अवैध विस्तार के कारण सरकारी राजकोष को अनुचित वित्तीय हानि हुई।

अब तक की पीएमएलए जांच के आधार पर, ईडी के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने दिनांक 11.06.2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत केसिरेड्डी राजा शेखर रेड्डी तथा डोंटिरेड्डी वासुदेव रेड्डी को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को दिनांक 11.06.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नामपल्ली, हैदराबाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां माननीय न्यायालय ने उन्हें दिनांक 25.06.2026 तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया।

मामले की आगे की जांच जारी है।